कार्यालय आयुक्त,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,
द्वितीय तल खण्ड सतपुड़ा भवन भोपाल, म0प्र0

//प्रमाण पत्र//

क0/सत्रह–2/मान्यता/2023/4371 भोपाल दिनांक 29-12-2023

धार्मिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के अधिनियम की धारा 10 एवं उसकी सहधाराओं में अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना आदि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रावधानों के आधार पर SHANTI EDUCATIONAL SOCIETY, 202 LOTUS, SHALIMAR TOWNSHIP, A B ROAD, INDORE-10, TEHSIL & DISTRICT- INDORE (M.P.) द्वारा अल्पसख्यक शैक्षणिक संस्था **"Ekayanaa School"** Rau Campus, K.No.1/1, Village Sonvay, Rau-Pithampur Road, Rau, District Indore (MP) PIN- 452016 की स्थापना, प्रबंधन एवं संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र तीन वर्षों के लिये निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है:–

1. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर स्थापित की जाने वाली अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था NCMEI Act 2004 के प्रावधानों अनुसार यह आवेदक धार्मिक जैन अल्पसंख्यक होने के आधार पर अपनी पसंद का अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित, प्रबंधित तथा संचालित करने के लिए किसी भी विश्वविद्यालय/मंडल आदि से नियमानुसार संबद्धिकरण प्राप्त करने की पात्र है।
2. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर स्थापित की जाने वाली स्थापित की जाने वाली अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को राज्य शासन/केन्द्र शासन आदि द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं एवं छूट आदि प्राप्त करने की पात्र है।
3. जो एजेन्सी शैक्षणिक संस्था का प्रबंधन कर रही है, उसका संवैधानिक स्वरूप होना अनिवार्य है उदाहरणार्थ– परमार्थ ट्रस्ट/कंपनी/फर्म/अशासकीय संस्था, संबंधित अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
4. अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा तथा प्रवेश केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों तक सीमित नहीं होगा।
5. शैक्षणिक संस्था के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए नियम रहेंगे जिसमें संस्था संबंधित संचालनालय/मण्डल/विश्वविद्यालय से सम्बद्धिकरण आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा, शिक्षकों की सेवा शर्तें तथा योग्यता निर्धारित करते समय संस्था द्वारा सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखा जायेगा।
6. संस्था द्वारा यह भी अनिवार्य रूप से पालन किया जावेगा कि अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जा रही संस्था होने का (Privilage) दुरूपयोग किसी व्यक्ति या संस्था के लिये नहीं करेंगे।
7. संस्था के शिक्षकीय एवं गैर–शिक्षकीय अमले के लिए अनुशासन, नियम बनाते समय प्राकृतिक न्याय का ध्यान रखा जाये, संस्था के उत्कृष्ट प्रशासन का ध्यान रखा जाये, शैक्षणिक संस्थाओं के लिये जो अन्य सामान्य नियम है वह भी लागू होंगे।
8. भर्ती हेतु चयन हेतु प्रकिया में विश्वविद्यालय/मण्डल के नियम तथा राज्य शासन के निर्देश लागू होंगे। संस्था संचालन के लिए योग्य शिक्षकों एवं अन्य अमले हेतु उम्मीदवारों को भर्ती करने की स्वतंत्रता रहेगी, परन्तु सलाह दी जाती है कि शिक्षकों तथा अन्य अमलों के चयन खुली (Open) विज्ञप्ति से एव पारदर्शी प्रकिया से किया जाये।
9. संस्था के शिक्षक एवं अन्य अमला अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता के ही रखे जाये तथा योग्यता में शिथिलता नहीं की जावेगी।
10. वे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाऐं जो राज्य शासन से अनुदान प्राप्त कर रही है, यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाऐं गैर–अल्पसंख्यकों को धर्म जाति एवं सम्प्रदाय के आधार पर प्रवेश के लिये मना नहीं कर सकेगी।
11. किसी विद्यार्थी को बिना उनके अभिभावकों की पूर्व लिखित सहमति के किसी विशेष धार्मिक प्रवचन/पूजा के लिये बाध्य नहीं करेंगे।

29/12/2023

12. अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जा सकेगी परंतु इस संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम बाध्यकारी होंगे।
13. संस्था की प्रबंधकारिणी में अधिकांश (दो–तिहाई), अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य रहेंगे, यह सुनिश्चित किया जावे। साथ ही संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम भी लागू होंगे।
14. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में से पूर्णतः धार्मिक निर्देश या शिक्षा दे रही संस्था को इससे बाहर रखा गया है अतः ऐसी संस्थाओं के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. स्थापना हेतु प्रस्तावित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वविद्यालय/मंडल से सम्बद्धीकरण के लिये प्रवेश में वरीयता का आधार, शिक्षा की उत्कृष्टता, प्रवेश की सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी प्रणाली, आवश्यक भौतिक संरचना, पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक गुणवत्ता आदि की पूर्ति का ध्यान रखा जाना होगा।
16. गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को इस विषय में राज्य शासन द्वारा जारी नीति तथा निर्देशों के अंतर्गत रहते हुए शिक्षण शुल्क लेने की स्वतंत्रता होगी परन्तु अनुचित लाभ अर्जन नहीं किया जा सकेगा। "केपीटेशन फीस" लिये जाने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में विभिन्न याचिकाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/निर्देश लागू होंगे।
17. कार्यालय आयुक्त पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के संस्था का निरीक्षण करने अथवा करवाने का अधिकार होगा।
18. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी तथा संलग्न अभिलेखों के असत्य पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने का अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है।
19. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को प्रमाण पत्र देने से संबंधित भविष्य में लागू होने वाली समस्त संशोधन इस प्रमाण पत्र प्राप्त संस्था पर भी लागू होंगे।

29/12/2023

(गोपाल चन्द्र डाड)
आयुक्त
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
मध्यप्रदेश

पृ0 क0/सत्रह–2/मान्यता/2023/4372 भोपाल दिनांक 29-12-2023

प्रतिलिपिः–

1 उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2 सचिव SHANTI EDUCATIONAL SOCIETY, 202 LOTUS, SHALIMAR TOWNSHIP, A B ROAD, INDORE-10, TEHSIL & DISTRICT- INDORE (M.P.) की ओर सूचनार्थ।

29/12/2023

(गोपाल चन्द्र डाड)
आयुक्त
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
मध्यप्रदेश